

(7)

5-11-17

अभिलेख अपर्याप्त । प्रथम पत्र
अधिवक्ता द्वारा दितीप पत्र अनुप्राप्त
अतः वाद में 6 (छ) माह की अवधि
पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कातबाधित
होगया है अतः वाद में अभिलेख
की कारवाही बन्द की जाती है ।

1
(5/11/17)
कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुण्डू (राँची)